ोनेवांचन आयोग (E.C.)

- अनु. 324 329
- माग 15
- 25 Jan. 1950 की स्थापना
- प्रथम आयुक्त = सुकुमार सेन
- पूर्व में एक सदस्य आयोग था।
- 1 Oct. 1993 की इस आयोग की बहु सदस्य बनाया गया 1
- 1 मुख्य निर्वाचन आयुम्त + 2 अन्य आयुम्त
- नियुक्ति = राष्ट्रपति द्वारा
- कार्यकाल = 6 Y / 65 Y
- त्यागपत्र राष्ट्रपति
- वैतन = SC के Judge के समान
- पद से हराने की प्रक्रिया = SC के Judge के समान
- तथा 5 शर्ते
- हराएगा → राष्ट्रपति
- -चुनाव आयुक्त की स्वतंत्रताएँ -->
- कार्यकाल की निश्चितता (कैवल महाभियोग हारा) 0 नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं
- 2
- संवैद्यानिक पद है। (3)

0

योग्यता का उल्लेख नहीं

Ba part 2, toipc - Election commission

पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबन्ध नहीं सैवानिवृत्ति के बाद दूसरी नियुक्तियों पर कीई शैक नहीं। 3 कार्य / शिम्तयाँ -प्रशासकीय 3. अर्हन्यायिक 2. सलारकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विद्यानमण्डल के चूनाव 0 सम्पन करवाता है। संसद के परिसीमन अधिनियम के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का 2 निद्यरिण करता है। समय - समय पर मतदाता सूची तैयार करवाना 3 चुनाव का कार्यक्रम घीषित करना (4) राजनीतिक दलीं की मान्यता दैना और उन्हें चुनाव चिद्दन आवंटित करना चुनाव चिद्दन के सम्बन्ध में दो दलों के मध्य विवाद का निपटारा 6 चूनाव के लिए आचार संहिता निर्मित करवाना -युनाव सम्बन्धी सदस्यों की अयोग्यता के सम्बन्ध में राष्ट्रपति (7) (अनु । १०३) 8 व राज्यपाल की सलाह देगा। चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए राष्ट्रपति व राज्यपाल सै कर्मचारियों

की आवश्यकता की लैकर आग्रह करना (9)

संख्यमा-केंद्र स्तर

- मुख्य निर्वाचन आयुक्त

_ अन्य आयुक्त

राज्य निवर्चन अधिकारी (State के पुनाव)

स्थानीय Bodies के चुनाव

राज्य स्तर